तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2538/2006/करौली सरकार बनाम जगमोहन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित–

श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 02.11.2020

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर, करोली ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 31–03–2006 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार हिण्डोन ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कजानीपुर स्थित साबिक खसरा नम्बर 566 रकबा 01बीघा 05बिस्वा, खसरा नम्बर 567 रकबा 09बिस्वा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 15 में किस्म नाला दर्ज थी। उक्त आराजी के कायम नवीन खसरा नम्बर 788, 796/1275, 787/1278, 790/127736 एवं 793/1276 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो अवैध एवं नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः विवादग्रस्त भूमि को पुनः गैर मुमकिन नाला दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने राजकीय पैरोकार की बहस सुनकर राजस्व अभिलेख से विपक्षी का नाम हटाया जाकर बिला नाम सरकार गैर मुमकिन नाला राजकीय खाते में दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है।

हमने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2538/2006/करौली सरकार बनाम जगमोहन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गई।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी कृषि अयोग्य गैर मुमकिन नाला के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिस पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार देना कानून में वर्जित है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 में पारित निर्णय दिनांक 28–7–04 की पालना में इस प्रकार दर्ज की गई खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने योग्य उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार ग्राम कजानीपुर स्थित साबिक खसरा नम्बर 566 रकबा 01बीघा 05बिस्वा, खसरा नम्बर 567 रकबा 09बिस्वा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 15 में किस्म नला दर्ज थी। उक्त आराजी के कायम नवीन खसरा नम्बर 788, 796/1275, 787/1278, 790/127736 एवं 793/1276 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो अवैध एवं नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है किन्तु उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2538/2006/करौली सरकार बनाम जगमोहन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रदान कर दी। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज होने से सार्वजनिक हित की भूमि है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार देना कानून में वर्जित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28-7-04 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-8-1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज की गई खातेदारी विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त की जाती है तथा अप्रार्थीगण के खाते में अंकित विवादग्रस्त आराजी को बिला नाम सरकार गैर मुमकिन नाला दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	